

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

2022/202

प्रार्थी कालूराम पुत्र सेवाराम जाति अरोडा निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर हाल निवासी आर 26 आनंद विहार जैन कालेज के पीछे तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी.चप्रूफ, एवं दो गवाह का शपथ पत्र, आई.डी.प्रूफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी व गवाहान लक्ष्मणदास पुत्र हाकम चन्द एवं रजत कुक्कड पुत्र रवि कुक्कड की पहचान अधिवक्ता श्री ओ.पी. बतरा द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

हस्ताक्षर

11/11/2021
756817100
अभिभाषण स्वीकार किया है।